

FORM NO.111

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

मदनलाल पुत्र कुरडाराम बनाम गणेशराम पुत्र नारायण वगै०  
किरम मुकदमा-विधिवत कैंवियट प्रार्थना पत्र

मुकदमा नम्बर:- 90/2025

16-9-25

तारीख हुज्ज	हुज्ज या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुज्ज की तालीम में जारी हुय
-------------	-------------------------------------	---

16.09.2025

प्रार्थी की ओर से श्री अरविन्द कुमार शर्मा एडव० ने उपरिथत होकर एक प्रार्थना पत्र कैंवियट अन्तर्गत धारा 148 (1) सीपीसी पूर्व में दिनांक 02.01.2025 को न्यायालय में उपरिथत होकर पेश की गई थी। उक्त कैंवियट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 (1) सीपीसी में दर्ज खसरा नम्बरान् से सम्बन्धित कोई वादपत्र/प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निर्धारित अवधि तीन माह में पेश नहीं हुआ है। उक्त कैंवियट प्रार्थना पत्र को न्यायालय में पेश हुए 90 दिवस से भी अधिक का समय हो चुका है। जिसके कारण उक्त कैंवियट प्रार्थना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने से इस कैंवियट प्रार्थना पत्र को आगे लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य प्रतित नहीं होता है। अतः कैंवियट प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर इसी स्तर पर फैंसल किया जाता हैं। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

( अनिल कुमार )  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

